

22-02-18

वादी अनुपस्थित।

प्रतिवादी क्र० 1 द्वारा अधिवक्ता श्री राजेश शर्मा।

प्रति०क्र० 2 पूर्व से एकपक्षीय।

प्रति०क्र० 3 द्वारा अधिवक्ता श्री अखिलेश समाधिया।

वादी एवं उनके अधिवक्ता को बार बार पुकार लगवाई गयी। पुकार पर कोई उपस्थित नहीं।

प्रकरण वादी की शेष साक्ष्य हेतु नियत है।

इस समय न्यायालय की घड़ी में 4:50 बजे हैं और वादी तथा उसकी साक्ष्य उपस्थित नहीं हैं। सुबह से कई बार पुकार लगवाई जा चुकी है, किन्तु वादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हो रहा है।

अतः वाद वादी की अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।

व्यय तालिका तैयार की जावे।

प्रकरण का परिणाम सुसंगत अभिलेख में दर्जकर नियत अवधि में अभिलेखागार भेजा जावे।

(Amit Kumar Gupta)

Civil judge class-1,
Gohad dist.Bhind M.P.